0/0 175

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सत्यमेव जयते

सं.- ए-12011/13/2024-क.भ.नि.सं.-मुख्या./आरसी/706 दिनांक: 17.11.2025

सेवा,

सभी अपर केंद्रीय आयुक्त (मुख्या.)/ अपर केंद्रीय आयुक्त (अंचल)

विषय : सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर नियुक्ति (सीधी भर्ती - 2024 बैच) - द्वितीय प्रतीक्षा सूची वालेअभ्यर्थियों की नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक - 30/09/2025 के पत्र संख्या: ए-12011/13/2024-क.भ.नि.सं.-मुख्या./आरसी/668 और दिनांक 30/09/2025 के पत्र संख्या :ए-12011/13/2024-क.भ.नि.सं.-मुख्या./आरसी/667 के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पूर्व और कार्यभार ग्रहण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के निदेश दिए गए थे।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां अभ्यर्थियों को तैनात किया गया है, संबंधित आंचलिक कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है :

क. जिन अभ्यर्थियों ने सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया है, उनकी उम्मीदवारी औपचारिक रूप से रद्द कर दी जाएगी, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो।

ख. यदि अभ्यर्थी को उचित अवसर दिए जाने के बावजूद वह दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी एक अंतिम अवसर देने के बाद रद्द की जा सकती है, यदि पहले से रद्द नहीं की गई हो। ऐसे अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए।

ग. ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, जिनकी नियुक्तियां अभी तक रद्द नहीं हुई हैं और जिन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे हैं।ऐसे अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाए। यदि अभ्यर्थी इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए।

घ. 1 दिसंबर, 2025 के बाद सेवा विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अंचल के अ.के.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/अ.के.भ.नि.आ. द्वारा दिया जा सकता है और केवल उनअभ्यर्थियों को दिया जा सकता है जो पहले से ही सेवा में हैं और जिन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा औपचारिकताएँ पूरी कर ली

हैं। इसके अतिरिक्त, यह शर्त भी लागू होगी कि अभ्यर्थी अंचल कार्यालय को पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करे कि उसने सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद पर चयन के बाद क.भ.नि.सं. में शामिल होने के लिए अपने पिछले विभाग/संगठन से त्यागपत्र दे दिया है और वर्तमान में नोटिस अवधि पर है।

4. अभ्यर्थियों को पत्र-व्यवहार ईमेल (पंजीकृत मेल आईडी पर) तथा डोजियर में उल्लिखित पते पर डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

5. परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई रिक्तियों के आधार पर राज्यों के पुनर्आवंटन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर ली जानी चाहिए, जिसके बाद उम्मीदवारी से इनकार या रद्द होने पर एक और आरक्षित सूची तैयार की जाएगी। इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची से नए डोजियर केवल अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द होने या त्यागपत्र (यदि कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो) के विरुद्ध ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह सुनिश्चित किया जाए कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

परमपाल

(पी. पी. एस. मैंगी)
क्षे.भ.नि. आयुक्त-I (भर्ती प्रभाग)